गांधी स्मारक निधि का मासिक मुखपत्र

संस्थाकुल

वार्षिक सहयोग राशि	:	रु. 20.00
एक प्रति	:	रु. 2.00
कुल पृष्ठ	:	12

जनवरी, 2024 वर्ष – 54 अंक – 10

दस्तावेज़ :

दुर्बलों के साथ अहिंसा का मेल नहीं

महात्मा गांधी

मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान एक कुंए के मेढक की तरह रहे। जैसे एक कुंए का मेढक रहता है कि कुंए में तो मेरा राज्य चलता है, बाहर चाहे कुछ होता रहे उसका मुझे पता नहीं। मगर हमारे यहां तो जवाहरलालजी तथा अन्य नेता लोग यह कह चुके हैं कि हम किसी के दुश्मन बनकर नहीं रहेंगे। अर्थात दुनिया में सबके दोस्त बनकर रहेंगे। उसमें अंग्रेज भी आ जाते हैं। तो क्या वे एक विश्व–संघ बनाना चाहते हैं ? एशियाई सम्मेलन में मैंने कहा था कि ऐसा विश्व–संघ बन सकता है और उसमें किसी मुल्क को अपने यहां फौज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देश आज अपने–आपको डेमोक्रेट (जनतांत्रिक) कहते हैं। केवल कहने से ही वे डेमोक्रेट थोड़े ही बन जाते हैं। जहां तक लोक–राज्य होता है, वहां फौज की क्या जरूरत ? जहां फौजी राज्य होता हो, वहां लौकिक या पंचायती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्यों का कोई विश्व–संघ नहीं बन सकता। जापान और जर्मनी की फौजी हुकूमतों ने अपनी दोस्ती बताकर अन्य देशों को अपने साथ मिलाने की चाल चली थी, मगर वह चाल आखिर चली थोड़े ही। नतीजा यह कि आज जिस जगह पर भी नजर डालता हूं, मैं आज राम–राज्य की कोई निशानी नहीं पाता हूं।

कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने 32 साल तक सत्य और अहिंसा का नाम लिया। क्या उसी का यह नतीजा नहीं देखा जा रहा है कि आज देश में हर जगह छुरों और गोलियों से मारकाट मची हुई है। इस तरह से कौन कब तक यहां जिंदा रहेगा ? इस पर मैं यह कहूंगा कि आज जब इतनी बेचैनी फैल रही है, तब वह अहिंसा तो नहीं हुई। तो क्या 32 वर्ष तक मेरा झूठ और फरेब का राज चलता रहा ? 32 वर्ष तक करोड़ों आदमियों ने जो मुझसे अहिंसा की तालीम ली, क्या वे एकाएक आज झूठे और हिंसक बन गये ? मैं तो यह कबूल कर चुका हूं कि हमारी अहिंसा दुर्बलों की थी। मगर सच्चाई तो यह है कि दुर्बलों के साथ अहिंसा का कभी मेल बैठता ही नहीं। अतः उसे अहिंसा की बजाय निष्क्रिय प्रतिरोध कहना चाहिए। मगर मैंने जो अहिंसा चलाई थी वह दुर्बलों की नहीं थी, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का होता है। उसमें सबलता नहीं आई थी। इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध सक्रिय और सशस्त्र प्रतिरोध की तैयारी होती है। नतीजा यह हुआ कि लोगों के दिलों में जो हिंसा भरी थी, वह एकाएक बाहर निकल पड़ी।

निष्क्रिय प्रतिरोध भी तो हमारा असफल नहीं हुआ। हमने अपनी आजादी करीब–करीब प्राप्त कर ली। आज जो हिंसा दिखाई दे रही है, वह भी नामर्दों की हिंसा है। एक मर्द की हिंसा भी होती है। . . . जब दस–बारह हजार सशस्त्र आदमी एक गांव के निहत्थे लोगों पर हमला करके स्त्री–बच्चों समेत उन्हें काट डालते हैं तो वह नामर्दों की हिंसा हुई। अमरीका का एटम बम एक तरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामर्दों की ही हिंसा थी। मर्दों की अहिंसा तो देखने की चीज होती है। उसी अहिंसा को देखते हुए मैं मरना चाहता हूं। उसके लिए हृदय में बल होना चाहिए। वह एक बड़ा खूबीदार हथियार है। यदि सबलों की अहिंसा को लोगों ने जान लिया होता तो हाल में ही जो जान–माल का नाश हुआ वह कभी नहीं होता।

(प्रार्थना प्रवचन' 1; पृ. 217–20)

(सम्पूर्ण गांधी वांगमय : खण्ड 88, पृष्ठ 248–249)

> **वर्ष 2024 भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को सुदृढ़ करने वाला सिद्ध हो, इस लोक–कामना और प्रभु–प्रार्थना के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई ! — सं.**

लोकतंत्र का जीवंत साक्षात्कार राजस्थान के ग्रामदानी गांव सीड में

डॉ. उल्हास जाजू

आधुनिक काल नितांत व्यावहारिकता को ही सर्वस्व मानने को अभिशप्त है। परंतु इस युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो आदर्श को व्यावहारिकता में बदल पाने की ऊर्जा रखते हैं। गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को विनोबा भूदान और ग्रामदान से नया रूप देते हैं। वहीं विनोबा के इस सपने को मूर्त रूप देने वालों में से एक राजस्थान निवासी रामेश्वर प्रसाद शर्मा तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी विनोबा की ग्रामदान की परिकल्पना को सीड और आसपास के गांवों में सहेजे हुए हैं। सीड के अलावा अन्य ग्रामदानी गांव हैं मंगरीफलां, हरिहर खेड़ा, और गोपा की बगता। गौरतलब है रामेश्वर शर्मा 2 फरवरी, 1959 को वल्लभनगर में जब विनोबा से मिले थे तब उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। वे जिन 60 लोगों के जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें सबसे कम उम्र के थे। इतना ही नहीं, वे इस संत मिलन के तीन वर्ष पहले यानी 16 वर्ष की उम्र से समाजसेवा के कार्य में जुट गए थे। 23 मार्च, 1940 को जन्मे रामेश्वर पिछले करीब 70 वर्षों से सतत् गांधी–विनोबा विचारों का लेकर कार्यरत हैं और 84 बरस की उम्र में भी अपनी सजगता और निरंतरता को कायम रखे हुए हैं।

ग्राम सेवा का काम मस्तों का काम है, सुस्तों का नहीं। मस्ती होगी तो सेवा होगी। — विनोबा

भूदान से ग्रामदान–ग्रामस्वराज्य की यात्रा

विनोबा ने 15 अप्रैल, 1949 को आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया और 18 अप्रैल को पोचमपल्ली पहुंचे जो कि कम्युनिस्ट चरमपंथियों का गढ़ था। यहां दो वर्षों में 22 हत्याएं हो चुकी थीं। तभी उनसे मिलने वहां के 40 हरिजन परिवार आए और बोले प्रति परिवार हमें 2 एकड़ जमीन मिल जाए। उन्होंने पहले सोचा सरकार से अपील की जाए। फिर लगा सरकार से मांगने से क्या होगा ? इसलिए शाम को सभा में लोगों के सामने बात रखी। रात में रामचन्द्र रेड्डी आए और बोले, 'मेरे पिताजी चाहते थे कि हमारी 200 एकड़ में से 100 एकड़ जमीन सुपात्र लोगों को बांट दी जाए। विनोबा की अश्रुधारा बह निकली। वे कहते हैं, "उस रात को मुझे 3–4 घंटे ही नींद आई। मैं सोचने लगा कि यह क्या घटना घट गई। मेरा दो बातों पर बड़ा विश्वास है, एक भगवान पर और दूसरा गणितशास्त्र पर। तो गणित चला। हिसाब लगाया कि सारे भारत में भूमिहीनों को भूस्वामी बनाने के लिए करीब 5 करोड़ एकड़ जमीन चाहिए। क्या इतनी जमीन मांगने से मिलेगी ? फिर साक्षात ईश्वर से संवाद चला। याद आया ईश्वर ने कहा है, 'अगर इससे डरेगा और शंका रखेगा तो तेरा अहिंसा आदि पर जो विश्वास है उसको हटाना होगा। इसलिए श्रद्धा रख और मांगता जा' और फिर कहा कि; 'जिसने बच्चे के पेट में भूख रखी, उसी ने माता के स्तन में दूध रखा। वह अधूरी योजना नहीं बनाता।' बस दूसरे दिन से मैंने मांगना शुरू किया, दान मिलना शुरू हुआ।" वे आगे लिखते हैं, "वह अद्‌भुत यात्रा थी। हर जगह मांग होती थी और लोग जमीन देते थे। मैं बिल्कुल मस्ती में घूमता था। रवींद्र बाबू का पद याद आता था, 'एकला चलो रे ओ रे अभागा।' मैंने उसमें थोड़ा फर्क कर लिया था 'ओ रे अभागा' की जगह 'ओ रे भाग्यवान कहता था।"

विनोबा जानते थे कि यह प्रक्रिया उनके जीवनकाल में पूरी नहीं होगी। दुनिया में अब तक कोई भी व्यक्ति संभवतः 500 वर्षों की योजना के साथ सामने नहीं आया है। उनके अनुसार भूदान का औचित्य यही है कि यह दानदाताओं के व्यक्तित्व में परिवर्तन का पैमाना है। भूदान दानशीलता की एक धार्मिक गतिविधि नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति का सचेतन कृत्य है, जिसकी इच्छा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने की है। यह दानशीलता के पुरातन विचार का

क्रांतिकारी महत्व है, बशर्ते सामाजिक संदर्भों में इसे ठीक से समझा जाए। भूदान के महत्व को वह महज भूमि वितरण तक सीमित नहीं रखते थे। वे मनते थे कि "मैं एक हिंसक क्रांति को रोककर एक अहिंसक क्रांति विकसित करना चाहता हूं। भविष्य में देश में शांति और समृद्धि, भूमि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान पर ही निर्भर करती है।"

विनोबा भूदान से ग्रामदान तक पहुंचते हैं। गौरतलब है कि ग्रामदान एक ऐसा अनोखा विचार है, जिसने जेपी जैसे समाजवादी को भी विनोबा का भक्त बना दिया और उन्होंने इसके लिए अपने जीवनदान की घोषणा कर दी थी। सन् 1969 तक करीब सवा लाख ग्रामदानी गांव बन चुके थे। तब का नारा था, "सभी भूमि गोपाल की, नहीं किसी की मालिकी।" प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और पत्रकार लुई फिशर ने कहा था, "ग्रामदान पूरब की ओर से आने वाला सबसे अधिक रचनात्मक विचार है।" गामदान को लेकर विनोबा ने कहा था, "ग्रामादान इस युग की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। यह लोगों से आग्रह करती है कि वे न केवल अपनी संकुचित घरेलू दीवाल को तोड़ें और पूरे गांव को एक परिवार समझें, बल्कि इससे भी आगे जाकर सभी ग्रामवासी एक साथ मिल बैठकर उनकी साझा समस्याओं पर विचार करें और एकमत (सर्वानुमति) से उसका समाधान भी करें।"

गांधीजी ने कहा था, "भारत में सात लाख गांव हैं, उनमें से प्रत्येक को उनके नागरिकों की इच्छानुसार संगठित होना चाहिए, सभी को मतदान करना चाहिए। इस प्रकार से कुल सात लाख मत हो जाएंगे। प्रत्येक गांव का एक मत होगा। गांव जिला प्रशासन का चुनाव करेंगे, जिला प्रशासन प्रांतीय प्रशासन का चुनाव करेगा और वे बदले में राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, जो कि कार्यपालिका का प्रधान होगा। परंतु भारत में यह संभव नहीं हो पा रहा था। विनोबा ने एक ऐसी पहल की, जो गांधी के इस विचार के बेहद करीब थी और राजस्थान के सीड गांव में उसका जीवंत साक्षात्कार भी हुआ। आधुनिक गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच में, जहां चारों ओर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमताओं के समुद्र सब कुछ लील रहे हैं, ऐसे में उनके बीच गांधी–विनोबा के विचारों से ओतप्रोत ये चार टापू वास्तव में आश्चर्यचकित करते हैं।

दो अनूठे पहलू

इस कहानी के दो अनूठे पहलू हैं। पहला यह कि एक अकेले व्यक्ति की अपने आदर्श और कल्पना के प्रति असाधारण आस्था और समर्पण। और, दूसरा अनूठा पहलू है, समाज व समुदाय द्वारा उस आदर्श और कल्पना को आत्मसात करना। इसके प्रणेता या प्रवर्तक रामेश्वर शर्मा हैं। वे महज आठवीं तक पढ़े हैं, लेकिन आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं, जैसे परस्पर विश्वास, सर्वधर्म समभाव, बिना विवाद के गांवों का प्रशासन संचालित होना, भूमि संबंधी मसलों में शासन के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति और राजनैतिक विषमताओं को न्यूनतम करने जैसे काम, वर्तमान समाज के माध्यम से इसी शासकीय और प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत करवा रहे हैं। उन्हें अपने द्वारा चलाए गए अभियान और स्थानीय समुदायों पर इतनां विश्वास है कि वे कभी भी किसी शोधकर्ता या पत्रकार के साथ इन गांवों में समान्यतया जाते ही नहीं हैं। उनके अनुसार, मेरे सामने ग्रामवासी अपनी बातें खुलकर नहीं रख पाएंगे। अतः आप स्वयं जाकर सीधे उनसे बात करें और अपने निष्कर्ष पर पहुंचें।

अपनी कार्यप्रणाली पर बात करते हुए वे कहते हैं कि ये चारों गांव अभी भी ग्रामदान के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। गौरतलब है यहां ग्रामदान सन् 1979—80 में हुआ था। यानी करीब पैंतालिस (45) वर्ष पूर्व। तभी से गांव का प्रबंधन खासकर, गांव की भूमि का प्रबंधन, ग्रामसभा के द्वारा ही होता है। ग्रामसभा ने जो पहला निर्णय लिया था गांव की गोचर (चारागाह) भूमि को लेकर था। ग्रामसभा के रजिस्टर में इस संबंध में जो लिखा है, वह है, "सीड के जंगल की बाउंड्रीवाल गिर गई है। इसकी मरम्मत ग्रामीणों द्वारा श्रमदान के माध्यम से की जाएगी। इसी तरह सीड और अन्य गांव के लोगों द्वारा घास को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बाउंड्री पर निगरानी रखना आवश्यक है।" आज तीसरी पीढ़ी इस ग्रामदान से श्रम से जुड़ी है।

रामेश्वर के अनुसार वे कभी भी ग्रामीणों को उस तरह से प्रशिक्षित नहीं करते, जैसाकि परम्परागत रूप से होता है। वे कहते हैं, "सबसे पहले कार्यकर्ताओं को, विशेषकर राजस्थान ग्रामदान अधिनियम के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता हूं। हमारे यहां चुनाव 'सर्वसम्मति' से भी

आगे की स्थिति 'मनाव' से होते हैं। यानी हम अपनी तरफ से किसी व्यक्ति से अनुरोध करते हैं कि वह यहां का कार्य संभाले। हर चुनाव में सामान्यतया कार्यकारिणी में नए लोगों को लिया जाता है, जिससे कि सभी को काम करने का समान अवसर मिल सके।

लोक–शिक्षण एवं ग्रामसभा द्वारा गांव की व्यवस्था

ग्रामदानी गावों की ग्रामसभाओं के मुख्य कार्य हैं – अपने गांव की राजस्व सीमा की भूमि का बन्दोबस्त करना, जिन्सवारी करना, भूमि संबंधी आपसी झगड़ों का निपटारा, भू–आवंटन करना और बेदखल करना, राजस्व व अन्य कर वसूलना, जमीन बेचने की स्वीकृति देना, खातों की रद्दोबदली करना। ये सभी अधिकार एक ग्रामदानी ग्रामसभा को कानूनी रूप से मिले हुए हैं। इसके अलावा जमाबन्दी, नक्शा, खसरा, ढाल, बांध व अन्य आवश्यक रिकार्ड लिखने का काम भी ग्रामसभा करती है। यानी पूरा रिकार्ड ग्रामसभा के पास ही रहता है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के मौजूदा परिवेश में यह सब देख–सुनकर लगता है, कि जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं।

रामेश्वर कहते हैं कि "हम लोक शिक्षण करते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी नेता बन जाएंगे।" उनसे पूछा कि वे इस कार्य में कैसे आए, तो उन्होंने बेहद रोचक अंदाज में अपनी यात्रा का वर्णन किया। उनके अनुसार, "सन् 1955 में थोड़े दिन गांधी के ग्रामोद्योग के सपने को लेकर अंबर चरखे पर काम किया। तब चरखा लकड़ी का होता था। इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई। जबकि परिवार मूलतः किसानी ही करता था। इस इलाके में शराब और मांसाहार का जबरदस्त प्रचलन था। मैं छोटा–सा दिखता था, तो शराब पीने वालों के साथ ही बैठ जाता था। वे मुझे भगाते भी नहीं थे। धीरे–धीरे मैं उनसे शराब छुड़वाने की कोशिश करने लगा। उधर भ्रष्टाचार, खासकर राजस्व व पुलिस विभाग के खिलाफ संघर्ष की वजह से लोगों का मुझ पर विश्वास बढ़ने लगा।" गांव में केवल रामेश्वर ही के घर में लालटेन थी। जब भी कोई रात में बीमार पड़ता रामेश्वर बैलगाड़ी के आगे लालटेन लेकर दूर अस्पताल तक साथ जाते। लोगों का इनकी ओर ध्यान भी ज्यादा होने लगा। धीरे से पीने के पानी को छानने की मुहिम चलाई। साथ ही जंगल और खेतों से होने वाली चोरियों के खिलाफ लोगों को लामबंद किया। अपने घर के सामने का कचरा साफ करते–करते धीरे–धीरे पूरे मोहल्ले की सफाई में जुट गए। लोग इनको "भंगी" कहने लगे। रामेश्वर को सुनकर बहुत अच्छा लगा। समझ में आया कि मेरा अहंकार टूट रहा है।

धीरे–धीरे ग्रामस्वराज्य को समझने और क्रियान्वित करने की हिम्मत आने लगी। इस बीच शराब ठेकेदार की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वे बोले, "मैंने शराबियों से हमेशा प्रेम से बात की। उन्हें कभी उलाहना नहीं दिया। मैने उसकी पत्नी की बहुत सेवा की। एक दिन उससे मैंने झूठ भी बोला और कहा कि आप शराब और मांस छोड़ने का संकल्प ले लोगे तो पत्नी ठीक हो जाएगी। संकल्प पूरे परिवार का होगा। वैसे वह गांव मूलतः डाकुओं का गांव ही था। वहां पंडाल का इंतजाम किया गया। 40 मालाएं बुलाई। पंडाल में बैठक रखी। लड़कों ने गाना गाया। मंच पर गांधी व विनोबा की तस्वीर रखी और फिर सबको माला पहनाकर उन तस्वीरों के सामने शराब न पीने का संकल्प करवाया।" वह बोले कि "मेरा मानना है कि मनुष्य को इतना ऊपर चढ़ा दो कि वह वहां से वापस गिर ही न सके। मेरा मानना है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। ईश्वर भी। उसे जगाना पड़ेगा। मैं गावों में जाता, तो देखता था कि वहां भयानक गरीबी है। इसलिए मैंने घी, दूध और तेल का उपयोग न करने का संकल्प ले लिया। ऐसा मैंने इसलिए भी किया कि गांव वालों को कभी नीचा न देखना पड़े।"

कदम–दर–कदम बढ़ते चले

फिर एक बार वे पुरानी यादों को टटोलते हुए कहते हैं, "मैं 16 साल का था तब पिताजी अपनी 90 बीघा जमीन पर जिसके साथ अधियाबटाई से खेती कर रहे थे, उसने रिश्वत देकर अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड से भी चढ़वा ली। उस राजस्व अधिकारी और बनिये (एजेंट) के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांव के बहुत से लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो चुका था।

"हम सब लड़के साथ आ गए। पुलिस भी उन भ्रष्ट लोगों के साथ ही थी। हमने उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इसके बाद गांधी–जयंती पर पहले पूरे गांव की सफाई की और उसके बाद प्रदर्शन किया और गांधीजी को

लेकर नारे लगाए। ग्राम पचांयत में केस दर्ज हो गया। हम सब लड़कों को "लूणदा" ले जाया गया। पंचायत के सामने पेशी हुई। हमने कहा कि हमने तो जुलूस निकालकर 'भारत माता की जय" और "महात्मा गांधी की जय" के नारे लगाए हैं। ठाकुर सरपंच ने कहा कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पंचायत के सामने ही जुलूस निकाला और 'भारत माता, महात्मा गांधी और नेहरू की जय' के नारे लगाए। सरपंच तब भी फटकार रहे थे।"

रामेश्वर के पास कुल 27 बीघा की खेती थी, जो उन्होंने अपने तीनों भतीजों को दे दी है। यानी विनोब का संपत्तिदान भी अपना लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस जीत ने सारे ग्रामवासियों को एक साथ ला दिया और अनजाने ही "ग्रामदान" की मुहिम शुरू हो गई । सन् 1952 में भूदान समिति बनी। बलबंत सिंह मेहता ने राजस्थान में इसकी कमान संभाली। इसी वर्ष श्री कृष्णदास जाजू ने पूरे राजस्थान का दौरा किया। ग्रामदानी पृष्ठभूमि तैयार होती गई। वे चुरू, कोटा, बूंदी, झालावाड़ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के अलावा और कई जगहों पर भी "भूदान संकल्प शिविर" अयोजित कर रहे थे।

रामेश्वर का सन् 1959 में विनोबा के साहित्य से परिचय हुआ और अनायास ही सब कुछ घटता चला गया। इसके बाद वे विनोबा से भेंट को अपनी स्मृति में साझा करने लगते हैं। बताते हैं, "सोमवार, 2 फरवरी, 1951 को विनोबा भूदान—ग्रामदान यात्रा के दौरान वल्लभ नगर गांव में पधारे। मैं भी सेटवान, सीड व अन्य 18 गांवों के अपने 60 साथियों को साथ लेकर उनके दर्शन को पहुंचा। तब तक सभा समाप्त हो गई थी। मैंने मेवाड़ के गांधी बलवंत सिंह मेहता से विनोबा के दर्शन कराने का अनुरोध किया। मेहता ने "गीता प्रवचन" की साठ पुस्तकें देकर कहा कि विनोबा जी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। हम उनको धोग (प्रणाम) देकर बैठ गए। विनोबा ने "जय जगत" कहा और सबको बैठने को कहा और मुझे पास में बैठाया। हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने पूछा कि 'क्या सब एक गांव से आए हैं ?' मैंने अरज किया, 'अलग—अलग पड़ोसी गांवों से आए हैं।' दूसरी बार पूछा , 'पहना हुआ कपड़ा हाथ का बना हुआ है ?' मैंने अरज किया, 'घर की खेती के कपास को, खेती के काम से फुर्सत के समय देशी चरखा पर कताई करके पड़ौसी गांव के बुनकर से बुनवा लिया है।' विनोबा ने कहा, 'जैसे घर का कपड़ा काम में लिया है, इसी तरह गुड़, तेल, साबुन,जीवन की आवश्यकताओं की सभी चीजें गांव की या गांव के कारीगर के हाथ की बनी काम में लो, गांव को स्वावलंबी बनाओ, गांव को एक परिवार बनाओ, ग्रामदान से गांव में ग्रामस्वराज्य कायम करो, ग्रामसभा बनाओ, गांव के सभी काम सभी मिलकर सर्वसम्मति से करो।' हम सबने हां भरी। तभी विनोबाजी ने मेरे से पूछा, 'ग्रामसेवा का काम करोगे ?' मैंने कहा, 'हां करुंगा'। इस पर विनोबाजी ने मुझे आशीर्वाद फरमाया, 'ग्रामसेवा का काम मस्तों का है, सुस्तों का नहीं, मस्ती होगी तो सेवा होगी।' हम सबको यही आशीर्वाद मिला। इसी बीच दादा धर्माधिकारी से भी संपर्क हुआ और अहिंसक क्रांति के अनेकों महत्वपूर्ण नजरिये को भी समझने की कोशिश की।"

ग्रामस्वराज्य की दिशा में सार्थक प्रयोग

वे बताते हैं, "हमको उनके आशीर्वाद को सफल बनाने में करीब बीस साल लगे। सन् 1980 में हमने सीड, मंगरीफला, हरियाखेड़ी और गोपा की बगता को ग्रामदानी गांव बनाया। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम–1960 के अंतर्गत इन गांवों के ग्रामदान को, संकल्प को, कानूनी मान्यता मिली। अब हमें गांवों की राजस्व सीमा भूमि, जंगल, जल, न्याय, विकास, लगान वसूली, जिन्सवार खाता रद्दोबदली के कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। गांवों में ग्रामसभा है, वोट देने वाले सभी आदमी, औरतें, नवयुवक ग्रामसभा के सदस्य हैं। गांव के सभी काम खुली जाजम पर ग्रामसभा की बैठक में होते हैं व सर्वसम्मति से होते हैं। "अपने गांव में अपना राज" कायम हो जाने से गांव के सभी आदमियों, औरतों, नवयुवकों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। ग्राम स्वराज्य लोकतांत्रिक समाजवाद का सही तरीका है।"

हम (लेखक) भी इस चमत्कारिक घटना को मुंह ताके सुनते रहे। आज जब पूरी दुनिया में सत्ता और संपत्ति के हड़पने को ही मानक मान लिया गया है, ऐसे समय में महात्मा गांधी और विनोबा के ग्रामस्वराज ग्रामदानी गांव को नए नजरिए से देखना समझना अनिवार्य सा हो गया है।

धीरे–धीरे ग्रामसभा के अधीन, जंगल, चराई की जमीनें, नदी, नाले, बेराज, राजस्व ग्राम (रेवेन्यु विलेज) की सारी गतिविधियां आ गईं। सारी जमीन ग्रामसभा की हो गई। अब नामांतरण भी ग्रामसभा ही करती है, सरकार नहीं।

गांव में 1300 बीघा से ज्यादा में खेती होती है। 800 बीघा जंगल और 300 बीघा चराई की जमीनें भी ग्रामसभा के अधीन हैं। सारे निर्णय ग्रामसभा में सर्वानुमति से होते हैं। कोई भी प्रकरण राजस्व न्यायालय नहीं जाता। गांवों में शराबबंदी निर्बंध जारी है। खेती भी अच्छी हो रही है। ग्रामसभा का संगठन दिनोंदिन मजबूत हो रहा है। वे अपनी कमजोरी बताने में भी नहीं झिझकते। कहते हैं, "महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। मेवाड़ का इलाका है। वहां से घूंघट प्रथा खत्म नहीं हो पा रही है। साथ ही राजस्थान ग्रामदान अधिनियम 1971 की धारा 43 विलोपित कर देने की वजह से अभी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। यहां चुनाव हुए तीन साल हो चुके हैं। भाजपा की भेरोसिंह शेखावत सरकार के समय यह अनुचित कार्य हुआ था।"

ग्रामदानी गांव 'सीड' में कार्य करना आसान नहीं था। प्रशासनिक व राजनीतिक अड़चनों के कारण अंततः राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। गौरतलब है सीड गांव के प्रत्येक परिवार ने अपनी जमीन का एक हिस्सा ग्रामसभा को दान किया है। इस पर किसान खेती तो स्वयं करते हैं परंतु उससे होने वाली फसल ग्रामकोष में दे देते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति 2 किलो अनाज ग्रामकोष में देता है। सीड में हमारी मुलाकात ग्रामसभा भवन में ग्राम के अध्यक्ष बाबरू लाल, सचिव केसु राम (केसु राम ग्राम कोष का कार्य भी संभालते हैं), पूर्व अध्यक्ष करण सिंह एवं इसके अलावा ग्रामवासी गणेश, मनुरा महाराज, शांति लाल, तेजा राम, नेता राम, शंकर आदि से हुई। चर्चा में सामने आया कि ग्रामकोष से जरूरतमंद को बिना 'सूद' कर्ज दिया जाता है। सबने बताया कि सबसे पहले हर 'फैला' (फालिया या मोहल्ला) से सर्वसम्मति से एक प्रतिनिधि मनोनीत होता है। ग्रामसभा के सारे प्रतिनिधि 'मनाव' से 'मुखिया' चुनते हैं। हर तीन साल में मुखिया बदलता है। एक ही व्यक्ति वापस उस पद पर नहीं आ सकता। मुखिया के पास जमीन के दस्तावेज होते हैं, परंतु निर्णय ग्रामसभा में लिए जाते हैं। न्याय संबंधी निर्णय (न्यायदान) भी ग्रामसभा करती है। यदि कोई ग्रामसभा के निर्णय का आदर न करे तो उसके विरुद्ध स्वयं ग्रामसभा न्यायालय में तब्दील हो जाती है। यदि कोई पक्ष सीधा न्यायालय में चला जाता है तो वह मुकदमा कानूनन ग्रामसभा की ओर वापस भेजा जाता है।

बाबरू ने बताया कि ग्रामकोष में इकट्ठा अन्न जरूरतमंद को संकट के समय या ब्याह शादी में दिया जाता है। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो निःशुल्क देते हैं। सक्षम होने पर ही लौटाना होता है। अन्यथा नहीं। खाताधारी की मृत्यु पर ग्रामसभा, उनके वारिस के नाम पर, जमीन का नामांतरण करती है। ग्रामसभा जरूरतमंद को कृषि के लिए जमीन भी लीज पर देती है। पहले तीन साल के लिए देती है। बाद में परिवार के नाम पर हस्तांतरित कर देती है। यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो जमीन वापस ग्रामसभा में आ जाती है। आपसी विवाद भी सर्वानुमति से हल होते है। ग्रामसभा राजस्व न्यायालय का काम भी करती है। खेती के लिए पानी का बंटवारा भी इसी के अधीन है। लगान वसूली जो कि सालाना 437 रु. होती है, ग्रामसभा ही करती है और सरकार के पास जमा करती है। ग्रामसभा घास कटाई की रायल्टी लेती है। प्रत्येक काश्तकार को घास कटाई का अधिकार है। बदले में हर साल 50 रु. प्रति परिवार चारे के लिए जमा करने होते हैं। जंगल से पत्थर, मिट्टी भी ग्रामजन अपने उपयोग के लिए ही ले सकते हैं। बदले में न्यूनतम रायल्टी देनी होती है।

राजस्थान में 202 ग्रामदानी गांव हैं। देश में अधिकांश बाकी जगह लोग ग्रामदान भूल रहे हैं, पर यहां अब भी नैतिकता पूरी तरह से विद्यमान है। गांव अभी अपनी जरूरत की अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ग्रामसभा का अपना भवन है। विद्यालय के खेल मैदान के लिए ग्रामसभा ने ही सरकार को जमीन दी है। अभी ग्रामवासी मानते हैं कि यह मूलतः ग्रामस्वराज्य की ओर उठा कदम है। "हमारे कार्यों से सरकार हिल रही थी, इसलिए धारा 43 हटाकर हमारी स्वायत्तता छीनने की कोशिश की गई है।" वे कहते हैं, "हममें से अधिकांश 'मीणा' समुदाय से हैं। तीन सौ घरों के गांव में केवल एक सरकारी नौकरी में है और वह भी चपरासी ही है।"

विनोबा कहते हैं, "जिस तरह हवा, पानी और सूर्य सभी को निःशुल्क उपलब्ध है, उसी तरह से सभी को भूमि पर दावे की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि भूमि भी बराबरी में ईश्वर का उपहार ही तो है!"

क्या आप इस संसद को पहचानते हैं ?

कुमार प्रशांत

कांग्रेसमुक्त भारत बनाने की बदहवास होड़ को यही रास्ता पकड़ना था। देश भी तेजी से कांग्रेसमुक्त हो रहा है। संसद भी विपक्षमुक्त हो गई है। संविधान में ऐसी मुक्ति की कोई कल्पना नहीं है। वहां तो संसदीय लोकतंत्र का आधार ही पक्ष–विपक्ष दोनों है। विपक्ष अपने कारणों से चुनाव न जीत सकें तो वह जाने, लेकिन जो और जितने जीत कर संसद में पहुंचे हैं, उन्हें पूरे अधिकार व सम्मान के साथ संसद में रखना सत्तापक्ष का लोकतांत्रिक दायित्व है। लोकसभा का अध्यक्ष इसी काम के लिए रखा जाता है कि वह संसदीय प्रणाली व सांसदों की गरिमा का रक्षक बन कर रहेगा। लेकिन हम यह नया भारत देख रहे हैं। इसमें भारत कहां है यह भी खोजना पड़ता है। इस नये भारत की संसद में विपक्ष कहां है, यह भी खोजना पड़ता है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हम अपने अस्तित्व की ऐसी शानदार जगह पर आ पहुंचे हैं जहां से वह हर कुछ खोजना पड़ रहा है जिसकी दावेदारी तो बहुत हो रही है लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि विपक्ष ने संसद चलने में इतनी बाधा पैदा की कि उन्हें दंडित करना पड़ा। 60 के दशक से पहले अध्यक्ष की अपील व झिड़की काफी होती थी कि संसद के कामकाज में बाधा डालने वाला रास्ते पर आ जाता था। 60 के दशक में विपक्ष ने भी अपने अधिकारों की मांग शुरू की। उसका स्वर तीखा होता गया। 70 के दशक में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के मनमाने के सामने गूंगे रह कर विपक्ष को संसद से बाहर कर दिया था। लेकिन वह आपातकाल का संदर्भ था।

जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब उसने संसद को अटकाने को हथियार की तरह बरतना शुरू किया। संसद की ऐसी–तैसी करते हुए भाजपा के अरुण जेटली व सुषमा स्वराज्य ने ऐसे बर्ताव को विपक्ष का जायज हथियार बताया था। उस वक्त के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने संसद को बंधक रखने जैसी प्रवृत्ति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन जब आप फिसलन पर पांव धरते हैं तब गिरावट आपके काबू में नहीं होती है।

2014 के बाद से संसद का सामान्यशील भी खतम हो गया और इस बार इसे विपक्ष ने नहीं, सत्तापक्ष ने खत्म किया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हमारा विपक्ष देशद्रोही, राष्ट्रीय एकता का दुश्मन, भ्रष्टाचारी तथा विभाजनकारी ताकतों का सफरमैना है। विपक्ष के लिए जवाहरलाल से मनमोहन सिंह तक, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था। अपार बहुमत से सरकार बनाए प्रधानमंत्री को विपक्ष को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी ? इसलिए कि वे भयग्रस्त मानसिकता से घिरे थे; घिरे हैं। उन्हें पता है कि यह जो सत्ता हाथ आई है, उसके पीछे आत्मबल नहीं, तिकड़में हैं। तिकड़म का चरित्र ही यह है कि वह कब छल कर जाए, आपको पता भी नहीं चले। इसलिए रणनीति यह बनती है कि हर विपक्ष व हर असहमति को इतना गिरा दो, पतित कर दो कि उसके गठन की संभावना ही न बचे। विपक्ष, संवैधानिक संस्थाओं, स्वतंत्र जनमत, मीडिया, राज्य सरकारों आदि का ऐसा श्रीहीन अस्तित्व पहले कभी नहीं था। विपक्ष, जिसने 60–65 सालों तक देश चलाया है, वह अगर देशद्रोही, भारत का दुश्मन, विभाजनकारी ताकतों का सफरमैना तथा भ्रष्टाचारियों का सरदार होता, तो क्या आपको वैसा देश मिलता; जैसा मिला ? आप चुनाव जीत सके, प्रधानमंत्री बन सके, यही इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष पर लगाए आपके आरोप बेबुनियाद हैं। विपक्ष दूध का धुला है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपका दूध शुद्ध है, ऐसा भी तो कोई नहीं कहता है।

आप यह जरूर कह सकते हैं कि आजादी के बाद से अब तक विपक्ष ने जैसी सरकार चलाई, जैसा समाज बनाया, उससे भिन्न व बेहतर सरकार व समाज हम बनाएंगे। आपको यह कहने का अधिकार भी है व उसका आधार भी है, क्योंकि आपने सारे देश में एकदम भिन्न एक विमर्श खड़ा कर अपने लिए चुनावी सफलता अर्जित की है। लेकिन देश आजाद ही 2014 में हुआ, ऐसा विमर्श बनाना व सत्ता की शक्ति से उसे व्यापक प्रचार दिलाना दूसरा कुछ भी हो, स्वस्थ्य लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने से कम नहीं है। अब यह राजनीतिक शैली दूसरे भी सीख चुके हैं। वे भी इतनी ही कटुता से स्तरहीन विमर्श को बढ़ावा दे रहे हैं। लोकतंत्र में सार्वजनिक विमर्श का सफर व स्तर सत्तापक्ष निर्धारित करता है, विपक्ष उसका

अनुशरण करता है। संसद जिस स्तर तक गिरती है, देश का सार्वजनिक विमर्श भी उतना ही गिरता है।

संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष का पहला व अंतिम दायित्व एक ही है : सदस्यों का विश्वास हासिल करना तथा सदस्यों का संवैधानिक संरक्षण करना है। प्रत्यक्ष या परोक्ष पक्षपात आपकी नैतिक पकड़ कमजोर करता जाता है। 2014 से यह लगातार जारी है। यह सच छिप नहीं सकता है कि विपक्ष संख्याबल में कमजोर है जिसे आप बराबरी का अधिकार व अवसर न देकर लगातार कमजोर करते जा रहे हैं। आपके ऐसे रवैये से विपक्ष का जो हो सो हो, सदन लगातार खोखला होता जा रहा है। यहां व्यक्तिपूजा, नारेबाजी, जुमलेबाजी तथा तथ्यहीनता का गुबार गहराता जा रहा है। ऐसी संसद न तो सदन के भीतर और न बाहर लोकतंत्र को मजबूत व समृद्ध कर सकती है। संविधान इस बारे में गूंगा नहीं है भले हम उसकी तरफ से मुंह फेर कर, निरक्षर व सूरदास बन गए हैं। संविधान के सामने सर झुकाना व संविधान का गला काटना इतिहास में कई बार हुआ है।

18 दिसंबर, 2023 एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। इस दिन से एक सिलसिला शुरू हुआ है जो अब तक कोई 150 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर निकाल चुका है। ये सारे निलंबन अनुशासन के नाम पर किए गए हैं। अचानक इतने सारे अनुशासनहीन सांसद कहा से आ गए ? पहले से सब ऐसे ही थे तो अब तक सदन चल कैसे रहा था ? पहले से नहीं थे तो इन्हें अनुशासनहीन बनाने की स्थिति किसने पैदा की। हर निलंबित सदस्य दोनों अध्यक्षों की क्षमता पर भी और उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े करता है। संसदीय लोकतंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कैसी है, यह कैसे आंकेंगे हम ? आपके व्यवहार से ही न! विपक्ष के इतने सारे सदस्यों को निलंबित कर देने के बाद संसद में लगातार संवेदनशील बिल पेश भी किए जाते रहें, पारित भी किए जाते रहे, तो यह मंजर ही घोषणा करता है कि संसदीय लोकतंत्र का कोई शील आपको छू तक नहीं गया है।

150 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, सत्तापक्ष का ऐसा तर्क मान भी लें हम, तो संसदीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप यह तय किया ही जा सकता था कि इतने निलंबन के बाद संसद की बैठक स्थगित कर दी जाती और विपक्ष के साथ नये सिरे से विमर्श किया जाता कि अब संसद का काम कैसे चलेगा ? संसदीय लोकतंत्र का एकमात्र संप्रभु मतदाता है, जिसने वह संविधान रचा है, जिससे आप अस्तित्व में आए हैं। उसने जैसे आपको चुनकर संसद में भेजा है वैसे ही उसने विपक्ष को भी चुन कर संसद में भेजा है। दोनों की हैसियत व अधिकार बराबर हैं और दोनों के संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेवारी अध्यक्षों की है। इसलिए अध्यक्षों को यह भूमिका लेनी चाहिए थी कि भले किसी भी कारणवश इनका निलंबन हुआ हो, इसको चुनने वाले मतदाता का अपमान हम नहीं कर सकते, सो संसद स्थगित की जाती है और हम सर जोड़ कर बैठते हैं कि इस उलझन का क्या रास्ता निकाला जाए। ऐसा होता तो अब्दुल हमीद अदम की तरह दोनों अध्यक्ष इस परिस्थिति को एक सुंदर मोड़ दे सकते थे कि "शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस खयाल से फिर आ गया हूं मैं"! इसकी जगह ऐसा रवैया अपनाया गया कि जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा। क्या अब संसद में कौन रहेगा, इसका फैसला मतदाता नहीं, संसद का बहुमत करेगा ? यह संविधान की लक्ष्मण–रेखा का उल्लघन है। यह तो नई ही स्थापना हो गई कि विपक्षविहीन संसद वैध भी है और हर तरह का निर्णय करने की अधिकारी भी है। फिर संसद की कैसी तस्वीर बनी है और संविधान का क्या मतलब रह जाता है ? इसका जवाब इस संसद के पास तो नहीं है।

स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा

एक बहुत महत्त्व की बात का इस्तेमाल हम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य को ढकने में करने लगें तो इस तरकीब को क्या कहा जाए ?

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है; यह एक जुमला बन गया है। यह जुमला ढक दे रहा है इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य को कि, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष से कहीं ज्यादा जरूरी है **एक लोकतांत्रिक सत्ता पक्ष का होना।**

आज हमारे देश का सबसे खतरनाक संकट यही है कि हमारे देश में एक ऐसी पार्टी सत्तारूढ़ है जो लोकतांत्रिक नहीं है। यह लोकतांत्रिक नहीं है, केवल मिजाज से नहीं, बल्कि विचार से भी।

विचार से ही अधिकनायकवादी यह सतारूढ़ पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाये हुए है कि विपक्ष को कैसे तोड़–फोड़ कर समाप्त किया जाय। अपने इस अघोर प्रयत्न में वह राज्य सत्ता का भी चौतरफा दुरुपयोग कर रहा है।

विडंबना यह है कि देशवासी आज भी लोकतंत्र की कसौटी सिर्फ चुनावी जीत और हार है, इतनी ही समझ रखते हैं। — *शुभमूर्ति*

पुण्य स्मरण :

पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक शोधक—साधक थे अनुपम

गोपाल राठी

मुझे याद आ रहा है कि अस्सी के दशक में, होशंगाबाद जिले में, नर्मदा की सहायक नदी तथा नदी पर बने विशाल बांध से आने वाली खुशहाली से लोग फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद तवा की नहरों से सिंचाई के कारण यानी कि रिसन से जगह—जगह भूमि दलदल बनने लगी थी। होशंगाबाद—इटारसी के पर्यावरण प्रेमियों ने इस खतरे को पहचाना और 'मिट्टी बचाओ अभियान' की शुरुआत हुई। इस पहल में **अनुपम भाई** का पूरा सहयोग और मार्ग—दर्शन रहा। होशंगाबाद जिले से अनुपम मिश्र का विशेष लगाव इसलिए था कि यह उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र की जन्म और कर्म भूमि थी। सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिन्दी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र अनुपम का जन्म सन् 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। उस समय इनके माता—पिता गांधीजी के आश्रम सेवाग्राम में रहते थे।

जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र पर्यावरण—संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने और सरकारों का ध्यानाकर्षित करने की दिशा में यह तब से काम कर रहे थे, जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था। आरम्भ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की, जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज—खबर ली है वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभवतः अब तक संभव नहीं हो पाया है।

उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल—संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही है। इसी तरह उत्तराखण्ड में और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल—स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली के पर्यावरण कक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और प्रतिष्ठान की पत्रिका 'गांधी मार्ग' के संपादक रहे। उन्होंने बाढ़ के पानी के प्रबंधन और तालाबों द्वारा उसके संरक्षण की युक्ति के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये। वह दिल्ली में स्थापित 'सेंटर फार एनवायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी (2001)' के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चंडी प्रसाद भट्ट के साथ काम करते हुए, उन्होंने उत्तराखंड के चिपको—आन्दोलन में जंगलों को बचाने में सहयोग किया। 'तरुण भारत संघ' के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। सन् 2009 में उन्होंने 'टेड' (टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिजाइन) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया था।

उनकी लिखी शोधपूर्ण पुस्तक **'आज भी खरे हैं तालाब'** के लिए 2011 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। **'आज भी खरे हैं तालाब'** के लिए उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान का **विज्ञान—लेखन राष्ट्रीय पुरस्कार** भी दिया गया। अनुपम मिश्र ने इस किताब को शुरू से ही कॉपीराइट से मुक्त रखा था।

सन् 1996 में उन्हें देश के सर्वोच्च **'इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार'** से भी सम्मानित किया गया था। 2007—2008 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के **चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया। इन्हें एक लाख रुपये के **कृष्ण बलदेव वैद पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था।

हम और हमारी सरकार कुछ करे या ना करे, सिर्फ अपने परम्परागत जल—स्रोतों का संरक्षण कर लें, तो आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। इम मुद्दे पर पूरी शिद्दत और ईमानदारी से भाई अनुपम मिश्र ने काम किया और अपना सेवामय—शोधपूर्ण जीवन सार्थक किया। उनकी पुण्यतिथि 19 दिसम्बर को हमने भरे हृदय से उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।

गांधी स्मारक निधि : हीरक जयंती आयोजन

महात्मा गांधी हमसे ऐसे समय जुदा हुए जब हमारी स्वतंत्रता अपने शैशवकाल में ही थी और मार्ग–दर्शन के लिए हमें उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी। 30 जनवरी, 1948 को वह शहीद हुए। उसके एक सप्ताह बाद ही, जबकि राष्ट्र उनके शोक में व्याकुल और दुखी था, कांग्रेस कार्य समिति की एक आवश्यक बैठक नई दिल्ली में यह विचार करने के लिए हुई कि उनकी स्मृति को कायम रखने और सब लोगों की भलाई के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया उसे चालू रखने के लिए क्या किया जाय।

उस बैठक में जो ऐतिहासिक निर्णय लिये गये; उनमें, उनकी स्मृति में एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना का निर्णय शामिल था, जिसे गांधी स्मारक निधि नाम दिया गया।

स्थापना के समय ही निधि के लक्ष्य, उद्देश्य आदि स्पष्ट कर दिये गये थे। निधि के प्रदेशीय केन्द्रों के साथ ग्रामसेवा केन्द्र एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर निधि अपनी स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सतत् प्रयासरत है। निधि की हीरक जयंती (75वां स्थापना दिवस) पर कुछ विशेष कार्यक्रम के आयोजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है :

- ट्रस्ट डीड में लिखित सभी कार्यों को यथासंभव जारी रखना, वर्तमान प्रासंगिकता तथा निधि की सामर्थ्य अनुसार उक्त कार्य में नवाचार करना।
- एक व्यापक नेटवर्क तैयार करना। प्रारंभ में निधि का सम्पर्क लगभग 2000 से अधिक रचनात्मक संस्थाओं के साथ रहा। उनके साथ सक्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध की पुनर्स्थापना।
- देश में रचनात्मक कार्य करने वाली तृण–मूल स्तर की अनेक संस्थाएं निधि से जुड़ना चाहती हैं, ऐसी 75 संस्थाओं का चयन कर निधि के साथ जोड़ने की योजना।
- इन संस्थाओं के साथ मिलकर 75 स्थानों पर गांधी स्मारक हीरक जयंती व्याख्यान आयोजित करना, इसके लिए व्याख्याताओं की एक टीम का भी चयन करना। ऐसे आयोजन करने वाली संस्थाओं को प्रमाण–पत्र और स्मृति–चिन्ह भेंट करना।
- देशभर में रचनात्मक तथा शांति, अहिंसा की स्थापना के लिए कार्य करने वाले 75 व्यक्तियों को चयनित कर उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति–चिन्ह भेंट करना।
- गांधी स्मारक ग्रामसेवा केन्द्र एवं गांधी घरों को पुनर्जीवित करना तथा कृषि, ग्रामीण विकास और तत्व–प्रचार की योजना को प्रारम्भ करना।
- गांधी–विचार आधारित एक यूट्यूब चैनल प्रारंभ करना और उसके जरिये नये ढंग से विचारों का प्रचार–प्रसार करना।
- संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास करना।
- युवा शिविर, विद्यार्थी शिविर जैसे शिविरों की श्रृंखला की गति को और तेज करना।
- गांधी स्मारक निधि की 75 वर्ष की उपलब्धियों पर विशेष स्मारिका का प्रकाशन।
- गांधी स्मारक निधि द्वारा निर्मित एवं संबंधित संस्थाओं का एक कार्यकर्त्ता सम्मेलन आयोजित करना।
- खादी, कृषि और रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर देशभर में चर्चा तथा गांधीवादी समाधान हेतु प्रयास।
- लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए विशेष जागरूकता अभियान।

निर्माण :

गांधी स्मारक निधि की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न केन्द्रों पर विशेष संस्थान का निर्माण :

(1) तमिलनाडु गांधी स्मारक निधि – गांधी स्मारक पब्लिक स्कूल, कोयम्बटूर के नये भवन को 75वीं वर्षगांठ पर शिक्षा के लिए समर्पित किया जायेगा। यह भवन तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

(2) मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि – मध्य प्रदेश के छतरपुर में गांधी स्मारक संग्रहालय के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। निधि की 75वीं वर्षगांठ पर इस निर्माण का भूमि–पूजन किया जायेगा।

(3) पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश गांधी स्मारक निधि – पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल

प्रदेश गांधी स्मारक निधि, पट्टीकल्याणा आश्रम में एक संग्रहालय और एक सभागार की योजना तैयार की जा रही है।

(4) **हिमाचल प्रदेश** – हिमाचल प्रदेश में नये केन्द्र शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है। निधि की हीरक जयन्ती के अवसर पर इसको शुरू करने का संकल्प है।

(5) **उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि** – उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि में हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में सभागार और अतिथि–गृह बनाने की योजना है।

(6) **नैनीताल**– नैनीताल में गांधी स्मारक भवन की शुरुआत करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।

(7) **दिल्ली** – गांधी स्मारक निधि, राजघाट पर हीरक जयन्ती सभागार की योजना पर विचार–मंथन जारी है।

(8) **उत्कल गांधी स्मारक निधि** – गांधी भवन, कटक में नये भवन का लोकार्पण।

कार्यक्रम :

(1) नई दिल्ली में मार्च महीने के प्रारम्भ में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की योजना है जिसमें देश भर से 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

(2) निधि की 75वीं वर्षगांठ पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तावित है। यह सम्मेलन बेंगलुरू में होगा।

प्रकाशन :

पिछले 75 वर्षों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के अभूतपूर्व योगदान को देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी। सभी राज्य निधियां अपने कार्यक्रम तथा समाज की सेवा में 75 वर्षों के योगदान पर एक पुस्तिका हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेंगी।

आयोजन के सम्बन्ध में समिति :

भारत के निर्माण में गांधी स्मारक निधि का अभूतपूर्व योगदान है। इस महत्वपूर्ण समय में निधि की हीरक जयंती वर्ष पर कार्यक्रम आयोजन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

आप सभी इन कार्यक्रमों में शामिल होने, सहयोग, योगदान करने के लिए आमंत्रित हैं। – संजय सिंह

हे राम

वह सत्य के लिए जिया
कहा उसने फिर–फिर
'सत्य ही ईश्वर है'
औरों ने कहा –
ईश्वर ही सत्य
उसने कहा –
सत्य ही राम, सत्य ही रहीम
उसने सत्य को दी
वरीय चीजों पर वरीयता
आते रहे रहनुमा
जाते वक्त उनके होठों से निकले
अलग–अलग शब्द,
कइयों के तो फूटे ही नहीं बोल
कई रहे निःशब्द मौन
और कुछ भले ही आसां हो,
मगर, आसान नहीं होता सचाई से इश्क
दुश्वारियों से भरी दुनिया में
सबसे कठिन है थामे रहना
सचाई की बांह
सत्य को समर्पित हो
मन, वचन, कर्म से
और रूह में पिन्हा हो सत्य
तब कहीं जाकर
सहस्राब्दियों के अंतराल में
फूटता है
किसी महात्मा के होठों से
बरबस – 'हे, राम!'

– डॉ. सुधीर सक्सेना

प्रकाशन तिथि 28/12/2023
Delhi Postal Regd. No. DL (C)-05/1423/2022-2024
R.No.21841/1971 Posted at L.P.C.- Delhi. R.M.S.Delhi-6 on 1st, 2nd January, 2024

श्रद्धांजलि

बिहार गांधी स्मारक निधि के सचिव विनोद रंजन का देहांत

बिहार के वरिष्ठ सर्वोदयकर्मी, प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष एवं बिहार गांधी स्मारक निधि के सचिव, **विनोद रंजन** का **9 दिसम्बर, 2023** को देहांत हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली में ही उनका दाह–संस्कार हुआ।

विनोद रंजन संघर्षशील कार्यकर्त्ता थे और निरंतर सर्वोदय–आन्दोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे। उनका देहांत गांधी–विचार परिवार की एक अपूरणीय क्षति है।

परिव्राजिका राजम्मा बहन का निधन

केरल की सर्वोदय–साधिका, परिव्राजिका **राजम्मा बहन** का विनोबा निकेतन, केरल में 99 वर्ष की अवस्था में **15 दिसम्बर, 2023** की सुबह 9 बजे निधन हो गया। कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने अपने साधनामय जीवन के 99 वर्ष पूरे किये थे और 100वें वर्ष में प्रवेश किया था।

सर्वोदय परिवार की सम्मानित **बहन राजम्मा** विदुषी, साधिका एवं समाज सेविका थीं। भूदान–आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी और आचार्य विनोबा के मार्ग–दर्शन में पवनार आश्रम से उन्होंने ब्रह्मविद्या की साधनामय जीवन की शुरुआत की थी। केरल के तिरूवनंतपुरम् से कुछ दूर उन्होंने विनोबा–निकेतन आश्रम की स्थापना की थी और वर्षों से वह उनकी साधना एवं सेवा का केन्द्र बना रहा।

ब्रह्मविद्या की चन्नम्मा दीदी का देहावसान

ब्रह्मविद्या की विदुषी एवं निष्ठावान साधिका **चन्नम्मा दीदी** का **दिनांक 20 दिसम्बर, 2023** को 94 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। चन्नम्मा दीदी ब्रह्मविद्या मंदिर में वर्षों से आचार्य विनोबा से प्रेरित होकर ब्रह्मविद्या की साधना में लीन थीं।

कर्नाटक के धारवाड़ जिले के होसारित्ती गांव में उनका जन्म हुआ था। भूदान–ग्रामदान आन्दोलन में लम्बे समय तक उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। उनका अंतिम संस्कार ब्रह्मविद्या मंदिर में ही 21.12.2023 को किया गया। पिछले कुछ दिनों से वे अस्वस्थ चल रही थीं और 20.12.2023 को उन्होंने ब्रह्मविद्या मंदिर में ही अंतिम सांस ली।

गांधी स्मारक निधि परिवार की ओर से दिवंगतों को सविनय श्रद्धांजलि! ईश्वर उनकी आत्माओं को चिरशांति प्रदान करे, इस प्रार्थना के साथ हम उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना अर्पित करते हैं! – स.

महत्वपूर्ण प्रकाशन

गांधी–विनोबा और जयप्रकाश

लेखक	–	मिलिंद बोकील
अनुवादक	–	चन्द्रकांत न्यायाधीश
प्रकाशक	–	कैलाश पब्लिकेशंस, छत्रपति संभाजी नगर
सम्पर्क	–	9325214191
मूल्य	–	200.00

गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के विचारों को समझने में सहयोगी पुस्तक।

स्वामी गांधी स्मारक निधि के लिए राजघाट, नई दिल्ली–110002 से संजय सिंह, गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित व मुद्रित जैन ऑफसेट प्रिंटर्स, 198/2–1, फारचुन टावर, रमेश मार्केट, नई दिल्ली–110065
सम्पादक – रामचन्द्र राही